

504
2021

रिपोर्ट पटवारी हत्या / आई०एल०आर०
आवेदन पत्र को सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार

गुडागौडजी श्रीमान जी, प्रार्थी का नाम राजस्व ग्राम
खाना के खाना को 1094 में खेद ले नानू, गणपत पुत्र
किशाना गलत दर्ज हो गया जिसको संलग्न दस्तावेजों के
आधार पर तब्दी किया जाना उचित है।
रिपोर्ट पटवारी अड्डा श्री कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुडागौडजी

20/10/21
20/10/21

क्रमांक : राजस्व/2020/

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक
का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अभिरक्षा की जाती है /नहीं
की जाती है।

2/10/21
तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुडागौडजी
ग्राम पंचायत-गुडागौडजी
पं.स. उदयपुरवाटी (सुन्धर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक फलक्टर उदयपुरवाटी जिला सुन्धर (राज.)

-: आदेश :-

दिनांक :- 20/10/21

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं तहसीलदार (भू०अ०)
उदयपुरवाटी/गुडागौडजी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में
निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी/गुडागौडजी को राजस्व
रिकार्ड में अमल दस्तावेज के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी संख्या	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	गुडागौडजी	207528	1094	नानू, गणपत पुत्र किशाना	नानूराम, गणपत पुत्र किशानाराम

नोट :-शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

24/10/21
उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक :- 20/10/21

क्रमांक :- राजस्व/2020/156-57

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी/गुडागौडजी को वारंते पालनार्थ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीया को सूचनार्थ।

24/10/21
उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

Scanned with CamScanner

